उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-244/2021/1077(2)/41-2021-119(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2021

संख्या-185/2021/435/41-2021-119(बजट)/2019 दिनांक 03 मार्च 2021

का शुद्धि पत्र

जनपद मथुरा स्थित रसखान समाधि स्थल का पुनर्निर्माण , सौन्दर्यीकरण व विद्युतीकरण की योजना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-185/2021/435/41-2021-119(बजट)/2019 दिनांक 03 मार्च 2021 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 7069/6-1-1/ ब्र0ती0वि0प0 /(04)/2019 दिनांक 08-03-2021 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-5** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित होना चाहिए था।

2. अतः शासनादेश संख्या-185/2021/435/41-2021-119(बजट)/2019 दिनांक 03 मार्च 2021 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-5** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** को विलोपित कर उसके स्थान पर एतद्द्वारा **वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित किया जाता है। तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या-185/2021/435/41-2021-119(बजट)/2019 दिनांक 03 मार्च 2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-244/2021/1077(3)/41-2021-119(बजट)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 , लखनऊ।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा ।
7- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12- उप निदेशक,आगरा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग /गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in